

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / जोन-कोटा / एमएसीपी / 29277 / 2025 / 71

दिनांक:- 28/03/2025

--:आदेश:-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी / रूल्स / 2017 / पी.टी. दिनांक 06. 10.2023 मे उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित नर्सिंग कर्मियों जिन्होने 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एमएसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एमएसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान मे देय पे लेवल	देय पे लेवल
1.	आयशा, नर्सिंग ऑफिसर	झालावाड	12.02.2016	12.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12
2.	चन्द्रप्रकाश नर्सिंग ऑफिसर	झालावाड	15.02.2016	15.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12
3.	प्रेमलता मेहर नर्सिंग ऑफिसर	झालावाड	11.02.2016	11.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12
4.	जावेद हुसैन गौरी नर्सिंग ऑफिसर	कोटा	11.02.2016	11.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12
5.	फतह सिंह, नर्सिंग ऑफिसर	कोटा	11.02.2016	11.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12
6.	परमेश्वर सिंह, नर्सिंग ऑफिसर	बारां	11.02.2016	11.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12
7.	चन्द्रमोहन नागर, नर्सिंग ऑफिसर	बारां	11.02.2016	11.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12
8.	निशा मेघवाल, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	बारां	16.01.2016	16.02.2025 09 वर्ष	एल-08	एल-10
9.	रीना मीना, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	बारां	28.01.2016	28-01.2025 09 वर्ष	एल-08	एल-10
10.	साविर हुसैन अंसारी, नर्सिंग ऑफिसर	बारां	11.02.2016	11.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12
11.	पवन कुमार चौरसिया, नर्सिंग ऑफिसर	बारां	11.02.2016	11.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12
12.	प्रदीप कुमार नागर नर्सिंग ऑफिसर	बारां	11.02.2016	11.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12
13	कैलाश चन्द्र नागर नर्सिंग ऑफिसर	बारां	11.02.2016	11.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12

14.	विजेन्द्र नागर नर्सिंग ऑफिसर	बारां	11.02.2016	11.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12
15.	अर्पित शर्मा नर्सिंग ऑफिसर	बारां	11.02.2016	11.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12
16.	गिरिराज कुमार शर्मा नर्सिंग ऑफिसर	झालावाड	11.02.2016	11.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12
17.	विश्वेन्द्र उपाध्याय नर्सिंग ऑफिसर	झालावाड	11.02.2016	11.02.2025 09 वर्ष	एल-11	एल-12

नोट:- 01. कार्मिकों का वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

02. उक्त कार्मिकों के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है, तो नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 28/03/2025

क्रमांक:- नर्सिंग / जोन-कोटा / एमएसीपी / 29277 / 2025 / 71

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा/झालावाड/बारां।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :28-03-2025 10:41:23